>

Title: Need to take steps for the welfare of fishermen in the country.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जिस सवाल को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं, उसके लिए आज पूरे देश और इस सदन को भी चिन्ता होनी चाहिए। मैं कोस्टल सिक्युरिटी के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी सुरक्षा से लाखों मछुवारों को जीवन, रोजगार और जान-माल की क्षति होने से बचाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां रोजगार की सख्त कमी है, लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वहां 5 करोड़ से ज्यादा लोग मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनमें से ढाई लाख से ज्यादा लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हैं। वे इस व्यवसाय से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। यह आंकड़े सरकार द्वारा डिक्लेयर किए हुए हैं।

मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि पूरे भारत देश में 7,100 किलोमीटर समुद्री किनारा है जिसमें से 1600 किलोमीटर समुद्री किनारा केवल गुजरात में पड़ता है। वहां एक लाख से ज्यादा मछुवारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस तरह यह व्यवसाय भारत जैसे विकासशील देश को एक अच्छा-खासा रोजगार प्रदान करने के साथ ही देश के ग्रोथ में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस व्यवसाय की देश के विकास में अच्छी भूमिका होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार उनकी सुरक्षा एवं विकास की समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यदि हम आज केवल गुजरात की बात करते हैं तो उनमें से 450 मछुवारे पाकिस्तान की जेल में अभी भी बंद हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए मैंने पहले भी इस हाउस में बोला था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उनकी 600 से ज्यादा बोट अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। उन मछुवारों को एक बोट बनाने के लिए कम से कम 50 से 60 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है। बोट बनाने के लिए वे किसी बैंक या साहूकार से कर्ज लेते हैं। लेकिन बोट पकड़े जाने के बाद उनकी रोजगारी छिन जाती है, वे जेल चले जाते हैं और उनका परिवार बेघर हो जाता है। आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मछुवारों को छुड़ाया जाना चाहिए और उनकी बोट भी छुड़वानी चाहिए।

वर्ष 1994 में भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान मेरिटाइम एजेंसी के साथ हुए समझौते के अनुसार जो मछुवारे सीमा पर पकड़े जाते थे और पूछताछ के बाद यदि वे मछुवारे साबित हो जाते थे तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा कर दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि मछुवारों और उनकी बोट को जबरदस्ती उठाकर पाकिस्तान ले जाया जाता है। उन्हें वहां की सरहद पर दर्दनाक तरीके से टार्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, अमानवीय बर्ताव किया जाता है और पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। महोदया, मछुआरे भी एक किसान के समान हैं, लेकिन सरकार उन्हें किसानों जैसी सुविधा नहीं दे रही है। विगत 4 वर्ष पूर्व किसानों की भांति उन्हें भी एक्साइज ड्यूटी फ्री डीजल मिलता था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया। आपने बोल दिया, इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री नारनभाई कछाड़िया : लेकिन वह भी बंद कर दिया गया। इससे मछुआरों पर एक और बोझ बढ़ गया है। आज मछुआरों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में है। अगर कोई मछुआरा दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाता है अथवा विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मछुआरों को न तो कोई मुआवजा मिलता है और न ही कोई बीमा मिलता है। इस कारण उनका परिवार समाप्त हो जाता है। ऐसी हालत में मछुआरों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित परिवारों के किसी एक सदस्य को गृह मंत्रालय के अंतर्गत योग्यतानुसार नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ-साथ मछुआरों को जागरुक बनाने के लिए जो सहायता दी जा रही है, उस धनराशि को और बढ़ाया जाये। इसके लिए हमें पर्याप्त प्रयास करना चाहिए।

महोदया, देश में कोस्टल सिक्युरिटी के अंतर्गत भारत सरकार ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप कितना लंबा बोलेंगे?

श्री नारनभाई कछाड़िया : महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इन सारी कोस्टल समस्याओं को लेकर गुजरात सरकार भारत सरकार को वर्ष 2005 से 2011 तक 94 से ज्यादा पत्र लिख चुकी है। गुजरात सरकार के सभी एमपीज भी इन सभी विषयों को सत्र के दौरान उठाते रहते हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी हल निकालने में केन्द्र सरकार सफल नहीं हो पा रही है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस इश्यू को प्राथमिकता दे। इस विषय को लेकर अलग से कोई कमेटी बनाये, ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही साथ उन मछुआरों के साथ पाकिस्तान में सड़ रही उनकी नाव को भी भारत वापस लाया जाये, जिससे उन्हें भी एक आम आदमी की तरह जीवन जीने का अधिकार मिल सके।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया :

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी अपने आपको श्री नारनभाई कछाड़िया के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।